मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1093

10.02.2025 को उत्तर के लिए

मानव-हाथी संघर्ष

1093. श्री रंजीत दत्ताः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जंगली हाथी देश में विशेष रूप से असम राज्य में कृषि फसलों, संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान जान-माल जैसे मकान, कृषि फसलों आदि के नुकसान की घटनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित किसानों और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई उपाय लागू किया है या लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) असम सहित राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान हाथियों के हमलों के कारण हुई मानवीय मौतों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है। देश भर में जंगली हाथियों के हमलों के कारण हुए संपत्ति के नुकसान का ब्यौरा इस मंत्रालय में संकलित नहीं किया जाता है। तथापि, असम राज्य से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान जान-माल जैसे मकान, कृषि फसलों आदि के नुकसान की घटनाओं का जिलावार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध- II** और **III** में के रूप में संलग्न है।

(ग) मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के उपशमन और प्रबंधन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-पशु संघर्ष के बारे में आम जनता को संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर मानव-हाथी संघर्ष संबंधी मुद्दों का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसमें मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना का प्रसार भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग हाथियों के विचरण की निगरानी करने और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचने, मानव जीवन, संपत्ति और हाथियों को नुकसान या क्षति पहुँचने से रोकने के लिए सावधान करने के उद्देश्य से स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) यह मंत्रालय देश में मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का निराकरण करने और बंधक हाथियों के कल्याण हेतु हाथियों, उनके पर्यावासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- बाघ और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' सहित केंद्रीय प्रायोजित अन्य विभिन्न स्कीमों के तहत जल-स्रोतों के संवर्धन, चारे वाले वृक्ष लगाने, बांस का पुनरुदभव आदि करने से हाथियों के प्राकृतिक पर्यावासों के सुधार में योगदान मिलता है। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों में भी हाथियों सहित वन्यजीवों के पर्यावासों के विकास, पशु बचाव-केंद्रों की स्थापना, आदि के लिए इस निधि के उपयोग का प्रावधान किया गया है, जिससे भी मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में योगदान मिलता है।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में एक परामर्शिका जारी की गई है। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई करने, संघर्ष के मुख्य स्थलों की पहचान करने, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करने, त्वरित अनुक्रिया दलों का गठन करने, अनुग्रह राशि की मात्रा की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करने, त्वरित भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन/अनुदेश जारी करने तथा मानवों की मृत्यु या उनके घायल होने के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि के उचित हिस्से का भुगतान करने हेतु पर्याप्त निधियों का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के संबंध में दिनांक 03 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें वन-सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्य पशुओं के लिए अरुचिकर फसलों की खेती, कृषि वानिकी मॉडल में वृक्ष/झाड़ियों की प्रजातियों के साथ अच्छी तरह मिश्रित करके मिर्च, नींबू घास, खस घास आदि सहित नकदी फसलों को उगाने को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल उगाने हेतु व्यापक दीर्घ-कालीन योजना तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना भी शामिल है।

(v) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से रेलवे लाइनों सहित रेखीय अवंसरचना को इस प्रकार से डिजाइन करने कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं कम हों, के लिए परियोजना एजेंसियों की सहायता करने के लिए 'रेखीय अवसंरचना के प्रतिकूल प्रभावों के उपशमन के लिए पारि-हितैषी उपाय' (2016) नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है।

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के समन्वय से भारत में 15 हाथी बहुल राज्यों (नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 150 हाथी गलियारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में सूचित किया है।

(vii) हाथी संरक्षण पर ध्यान देने और तालमेल स्थापित करने तथा संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी पर्यावासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया जाता है। ऐसी अधिसूचना, मंत्रालय में गठित संचालन समिति के अनुमोदन से तैयार की जाती है। अब तक 14 प्रमुख हाथी बहुल राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं।

(viii) संचालन समिति की दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को हुई 16वीं बैठक के दौरान मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन के संबंध में फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए एक फील्ड मैनुअल जारी किया गया था। इसके अलावा, इस मैनुअल का उडिया सहित स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

(ix) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए विनियामक प्रकार्यों का उपबंध किया गया है।

(x) रेल मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नॉर्थ फ्रंटियर (एनएफ), ईस्ट कोस्ट और साउदर्न रेलवे के महाप्रबंधकों को सुझाए गए उपायों को क्रियान्वित करने के अनुरोध के साथ दिनांक 30 मार्च, 2010 को एक सामान्य परामर्शिका जारी की गई है।

(xi) विद्युत मंत्रालय द्वारा हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर विद्युत पारेषण लाइनों और अन्य विद्युत अवसंरचना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी डिस्कॉम और ट्रांसको को जारी की गई परामर्शिका, दिनांक 16 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है।

(xii) इस मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष का निराकरण करने के लिए 'मानव-हाथी संघर्ष का उपशमन -एक सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाने (2023)' के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

(xiii) मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और प्रतिशोध-स्वरूप हाथियों की हत्या टालने के लिए स्थानीय समुदायों को वन्य हाथियों द्वारा पहुंचाए गए उनके जान-माल के नुकसान के बदले मुआवजा दिया जाता है। मंत्रालय ने दिनांक 22 दिसंबर, 2023 के पत्र सं. डब्ल्यूएल-21/4/2023 डब्ल्यूएल के द्वारा वन्यजीवों द्वारा किए गए विध्वंस के बदले दी जाने वाली अनुग्रह राशि की दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, बाघ और हाथी परियोजना के तहत वन्य पशुओं द्वारा हुई मौत के मामले में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना शामिल है।

(xiv) रेल दुर्घटना में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति गठित की गई है।

(xv) रेलगाड़ी से टक्कर होने और बिजली का करंट लगने के कारण हाथियों की दुर्घटनावश मौत के मुद्दे का समग्र रूप से निराकरण करने के लिए रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(xvi) विश्व हाथी दिवस 2024 के दौरान संकटग्रस्त और संघर्षग्रस्त हथियों को पकड़ने और स्थानांतरित करने के लिए एक अनुशंसित प्रचालन प्रक्रिया शुरू की गई।

(xvii) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में दिनांक 13-15 मार्च, 2023 को "हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने" के संबंध में एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xviii) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में दिनांक 23-25 नवंबर, 2023 को भारतीय रेलवे के कार्मिकों के लिए "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेल के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने" के संबंध में एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xix) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में दिनांक 28-29 नवंबर, 2023 को "हाथी रिजर्व के प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने'' के संबंध में एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xx) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में दिनांक 11-13 जनवरी, 2024 को "भारत में करंट लगने के जोखिम को न्यूनतम करने और विद्युत अवसंरचना के आस-पास वन्यजीव सुरक्षा बढ़ाने हेतु समाधान ढूंढने" के संबंध में एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xxi) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में दिनांक 20-22 नवंबर, 2024 को "भारत में करंट लगने के जोखिम को न्यूनतम करने और विद्युत अवसंरचना के आस-पास वन्यजीव सुरक्षा बढ़ाने" और "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को न्यूनतम करने" के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

(घ) और (ड.) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की मुआवजा स्कीमों के अलावा, यह मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, बाघ एवं हाथी परियोजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित दरों पर अनुग्रह राहत राशि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है:

क्रं.स.	**जंगली जानवरों द्वारा पहुँचाई गई क्षति की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत की राशि**
(i)	मानवों की मृत्यु या स्थायी अशक्तता	10.00 लाख रु.
(ii)	गंभीर चोट	2.00 लाख रु.
(iii)	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति 25,000/- रुपये तक की उपचार लागत
(iv)	संपत्ति/फसल की हानि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं

***

अनुबंध- I

'मानव-हाथी संघर्ष' के संबंध में श्री रंजीत दत्ता द्वारा दिनांक 10.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित

हाथियों के हमले से मानव मृत्यु

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4	6	4	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ	77	42	64	69	51
5	झारखंड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	केरल	12	20	25	22	23
8	महाराष्ट्र	1	0	0	2	5
9	मेघालय	4	6	3	3	7
10	नागालैंड	0	0	0	1	1
11	ओडिशा	117	93	112	148	154
12	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15	उत्तराखंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	4	8
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
कुल		**586**	**464**	**549**	**605**	**629**

* एन.आर.- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अनुबंध- II

'मानव-हाथी संघर्ष' के संबंध में श्री रंजीत दत्ता द्वारा दिनांक 10.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित

पिछले पांच वर्षों के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण हुई मानव मृत्यु का जिला/डिवीजन ब्यौरा

जिले का नाम	डिवीजन का नाम	2020	2021	2022	2023	2024
सोनितपुर	सोनितपुर पश्चिम	4	6	2	7	6
	सोनितपुर पूर्व	0	4	0	0	1
शिवसागर	शिवसागर	0	0	0	0	0
गोलाघाट	गोलाघाट	1	4	0	0	0
	पूर्वी असम डब्ल्यू/एल	0	0	0	0	0
नागांव	नागांव दक्षिण	0	0	0	1	0
	नागांव डब्ल्यूएल	1	0	1	0	0
	नागांव (टी)	6	6	10	14	5
जोरहाट	जोरहाट	0	1	4	1	0
लखीमपुर	लखीमपुर	2	4	2	3	3
बोंगईगांव	ऐ घाटी	0	0	0	0	0
एन. सी. हिल्स	एनसी हिल्स	0	0	0	0	0
करीमगंज	करीमगंज	3	0	0	0	0
डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	1	0	2	0	0
तिनसुकिया	डूमडूमा	4	2	3	4	1
	डिगबोई	4	4	0	0	0
	तिनसुकिया डब्ल्यू	0	0	0	0	0
कामरूप	उत्तर कामरूप	0	1	0	0	0
	कामरूप पश्चिम	1	3	2	5	4
	गुवाहाटी वन्यजीव	0	0	0	0	0
	कामरूप पूर्व	6	3	0	3	1
कोकराझार	हाल्टूगांव	0	0	2	3	1
धेमाजी	धेमाजी	0	0	0	0	0
कार्बी आंगलोंग	कार्बी आंगलोंग पूर्व	5	1	0	2	2
	कार्बी आलोंग्लोंग पश्चिम	0	1	0	0	1
	हैमरेन	3	2	1	0	0
गोलपाड़ा	गोलपाड़ा	14	19	24	14	22
दरांग	मंगलदोई	0	0	0	0	0
उदलगुड़ी	धनसिरी	19	8	14	21	8
चिरांग	चिरांग	3	3	0	1	1
बक्सा	बक्सा	0	3	5	10	7
धुबरी	धुबरी	0	0	0	0	0
बारपेटा	एफडीटीपी (मानस)	0	1	1	1	0
कोकराझार	कोचुगांव	0	0	0	0	0
माजुली	माजुली	0	0	0	0	1
धुबरी	परबतझोरा	0	0	0	0	0
सोनितपुर	पश्चिमी असम W/L	0	0	0	0	0
	बिश्वनाह डब्लूएल	0	0	0	0	0
कुल		77	76	73	90	64

अनुबंध- III

'मानव-हाथी संघर्ष' के संबंध में श्री रंजीत दत्ता द्वारा दिनांक 10.02.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1093 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित

पिछले पांच वर्षों के दौरान जंगली जानवरों/हाथी संघर्ष के कारण मकान और फसल के नुकसान से पीड़ित परिवारों का जिला/डिवीजन ब्यौरा

सं .	जिले का नाम	डिवीजन का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
			घरों की संख्या	बीघा में फसलें	घरों की संख्या	बीघा में फसलें	घरों की संख्या	बीघा में फसलें	घरों की संख्या	बीघा में फसलें	घरों की संख्या	बीघा में फसलें
1	**सोनितपुर**	सोनितपुर पश्चिम	77	126	12	151	68	54.5	36	128	0	0
2		सोनितपुर पूर्व	30	424	16	76	9	35	0	0	0	0
3	**शिवसागर**	शिवसागर	41	112	10	42	7	0	9	96	15	7.5
4	**गोलाघाट**	गोलाघाट	19	92	19	0	13	0	0	0	25	88
5		पूर्वी असम पश्चिम बंगाल	34	296	4	156	0	234	0	0	22	15
6	**नागांव**	नागांव दक्षिण	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2.2
7		नागांव डब्ल्यूएल	0	0	0	12	0	0	1	3	0	0
8		नागांव (टी)	49	101	56	201	22	198	68	357	0	175
9	**जोरहाट**	जोरहाट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**लखीमपुर**	लखीमपुर	0	0	11	56	8	7	0	0	0	0
11	**एन. सी. हिल्स**	एनसी हिल्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**करीमगंज**	करीमगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**डिब्रूगढ़**	डिब्रूगढ़	8	112	11	152	13	0	0	0	14	0
14	**तिनसुकिया**	डूमडूमा	12	76	31	88	60	485	82	266	32	375
15		डिगबोई	27	110	45	202	74	60	0	0	0	0
16		तिनसुकिया WL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**कामरूप**	उत्तर कामरूप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		कामरूप पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19		कामरूप पूर्व	0	0	0	0	16	0	0	0	0	40
20		गुवाहाटी वन्यजीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**कोकराझार**	हाल्टूगांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**धेमाजी**	धेमाजी	9	88	4	43	2	60	0	0	2	91
23	**कार्बी आंगलोंग**	कार्बी आंगलोंग पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		कार्बी आंगलोंग पश्चिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		हैमरेन	2	33	0	0	50	104	0	0	0	60
26	**गोलपाड़ा**	गोलपाड़ा	55	89	62	119	236	375	326	560	0	126
27	**दरांग**	मंगलदोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**उदलगुड़ी**	धनसिरी	106	353	85	251	106	656	321	687.695	165	296
29	**चिरांग**	चिरांग	0	0	0	0	97	49	0	0	309	278
30	**बक्सा**	बक्सा	84	101	74	257	95	556	0	0	266	0
31	**धुबरी**	धुबरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**बारपेटा**	एफडीटीपी (मानस)	0	0	0	0	1	12	46	88	24	92
33	**कोकराझार**	कोचुगांव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**माजुली**	माजुली	6	0	8	0	12	33	0	0	0	0
कुल			**559**	**2113**	**448**	**1806**	**897**	**2918.5**	**889**	**2185.69**	**874**	**1645.7**

***